न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चितलवाना (सांचौर)

पीठासीन अधिकारी : हनुमानाराम आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर : 04 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
ताराचंद पुत्र प्रेमचंदजी कौम– जोशी, निवासी चितलवाना तहसील चितलवाना		राज्य सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार चितलवाना जिला सांचौर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

निर्णय दिनांक :– 29/02/2024

उपस्थित :

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री इब्राहीम शाह जुनैजा।
2. अप्रार्थी (राजपेरोकार) तहसीलदार चितलवाना।

निर्णय

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा रामपुरा पटवार हल्का रामपुरा तहसील चितलवाना के नवीन खेत खसरा संख्या 1348/2399 रकबा 2.06 हैक्टर किस्म चाही सोयम, जाव सोयम वक्त जागीर से आई हुई है। उक्त नवीन खसरा संख्या 1348 में से 1348/2399 सृजित किया गया है तथा खसरा संख्या 1348 पुराने खसरा संख्या 545 रकबा 26 बीघा 1 बिस्वा मे से सृजित किए गए है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का वक्त जागीर से अपने बाप–दादो के समय से कब्जा काश्त है तथा वक्त जागीर से उक्त खेत की माठे मौके पर बनी हुई है। प्रार्थी का वक्त जागीर से प्रथम सेटलमेंट के नक्शे के अनुसार पुराने खसरा संख्या 545 के अनुसार कब्जा काश्त तथा खेत की माठे मौके पर बनी हुई है। लेन सन् 1989 मे सृजित हुए द्वितीय सेटलमेट मे लिपीकीय भूलवश प्रार्थी के खेत खसरा संख्या 545 के पश्चिम दिशा की माठ गलत रूप से तिरछी कते हुए पड़ौसी खातेदार की भूमि नवीन खसरा संख्या 1347 को प्रार्थी की भूमि मे गलत रूप से दर्शित कर दिया है। जबकि मौके पर प्रार्थी का पुराने खसरा संख्या 545 मे कब्जा काश्त एवं भूमि की माठ वक्त जागीर से बनी हुई है। द्वितीय सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा नक्शे मे की गई उक्त लिपीकीय भूल से प्रार्थी को मौके पर पड़ौसी खातेदार द्वारा दखलंनदाजी की जा रही है तथा राजस्व काम बाबत प्रार्थी को भारी परेशानीयो का सामना करना पड़ रहा है। उक्त लिपीकीय भूल को सुधार कर नवीन खसरा संख्या 1348 का नक्शा पुराने खसरा संख्या 545 के अनुसार किये जाने का आदेश भूमिधारी तहसीलदार चितलवाना के नाम देने की कृपा करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 राजपेरोकार तहसीलदार भूमिधारी द्वारा जवाब पेश कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर(राज.)

निवेदन किया कि मौजा रामपुरा के खसरा संख्या 1348/2399 रकबा 2.06 हैक्टर का प्रार्थी के नाम आया हुआ है। उक्त खसरा गत खसरा संख्या 545 रकबा 26 बीघा 1 बीस्वा से सृजित हुआ है। गत खसरा संख्या 545 के नवीन खसरा संख्या 1348 रकबा 3.56 हैक्टर, खसरा संख्या 1349 रकबा 0.21 हैक्टर, खसरा संख्या 1350 रकबा 0.32 हैक्टर, खसरा संख्या 1353 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा संख्या 1354 रकबा 0.05 हैक्टर बने जिनका कु2ल रकबा 4.22 हैक्टर बनता है जो गत सेटलमेंट के रकबा 26 बीघा 1 बीस्वा अनुसार सही है। परन्तु उक्त नवीन खसरा संख्या1348, 1349, 1350, 1353, 1354 की नक्शा आकृतितथा गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 545 की नक्शा आकृति मे अन्तर है। प्रार्थी एवं उनके भाई का कुल 4.22 हैक्टर (26 बीघा 1 बिस्वा) भूमि पर मौके पर गत सेटलमेंट के खसरा संख्या 545 की नक्शा आकृति अनुसार कब्जा काश्त है। जबकि वर्तमान सेटलमेंट की नक्शा आकृति मे द्वितीय भू–प्रबन्ध समय से अन्तर है।

हमने प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। तहसीलदार चितलवाना की जांच रिपोर्ट अनुसार गत सेटलमेट व वर्तमान सेटलमेट के अनुसार कब्जा सही है। परन्तु नक्शा आकृति मे अन्तर होना बताया गया है। जबकि प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के सदर्भ मे पेश किया गया है। जिसके अनुसार धारा 136 आर.एल.आर एक्ट मे रेकर्ड दुरूस्ति से सम्बधित प्रार्थना पत्र की सुनवाई करने का क्षैत्राधिकार है जबकि नक्शे मे आकृति को परिवर्तन करने व सुनवाई का धारा 136 आर.एल.आर एक्ट के तहत पोषणीय नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

आदेश

उक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारीज किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हनुमानाराम RAS)
उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

उपखण्ड अधिकारी-चितलवाना जिला-सांचौर(राज.)

निर्णय आज दिनांक 29/02/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी चितलवाना
उपखण्ड अधिकारी
चितलवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2024.04.30 12:40:12 IST
Reason: SelfAttested